



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-908/2026/3450/22-2-2022-17(419)/2022
लखनऊ : दिनांक: 07 जुलाई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.7.2021 तथा शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत विश्व योग दिवस(21 जून, 2022) के अवसर पर केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामनिवास (बन्दी संख्या-14336) पुत्र श्री सुरेन्द्र कश्यप, निवासी ग्राम-गोमतीपुर, थाना-आदर्श मण्डी शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर, हाल जनपद-शामली, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-800/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं०-6, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक-22.09.2007 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 04.12.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 02.10.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 03 माह, 13 दिन एवं 21 वर्ष, 00 माह, 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रुपये 50000/-(रुपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-908/2026/3450(1)/22-2-2022 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, शामली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, शामली।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रांट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 8- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।